समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (
फैक्स न0–0612–221
Email : dampatnaarmssection@gmail.
dm-patna.bih@n

–: आदेश :–

16-08-2013

आवेदक **श्री उपेन्द्रधारी सिंह,** पिता–श्री त्रिपुन्दा शेखर सिंह, सा0–A2-509, नू टावर, कंकड़बाग कॉलोनी, थाना–कंकडबाग, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्राम–उलार, थान दुल्हिन बाजार, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–73/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–16.08.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–16.08.2013 को सुनवाई के पूर्व आवेदक के द्व अपनी उपस्थिति दर्ज की गयी एवं लिखित बयान समर्पित किया गया लेकिन पुकार के क्रम वे अनुपस्थित रहे। अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक के आवेदन, उनका लिखित बयान, पुलि प्रतिवेदन, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अन्य कागजातों का परिशील किया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1152/गो0, दिनांक–12.08.2013 द्वा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कं अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज द्वारा थानाध्य दुल्हिन बाजार के अग्रसारण के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्य कंकड़बाग के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक के स्थायी पता ग्राम–उला थाना–दुल्हिनबाजार, जिला–पटना से जाँचोपरान्त ही निर्णय लेना श्रेयष्कर होगा। तदनुस जाँच प्रतिवेदन मूल में संलग्न कर सभी कागजात के साथ भवदीय के अवलोकनार्थ ए आवश्यक क्रियार्थ अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, कंकड़बाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक खेती एवं व्यवसाय करते हैं। आवेदक के पिता के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को आवेदक अपने अनुज्ञप्ति पर लेना चाहते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल क सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेद की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावजूद आवेदक क अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है, लेकिन इसके लिए को कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेद की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाध ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर वि समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश सकेगा।"

जहाँ तक आवेदक के द्वारा दिनांक–16.08.2013 को समर्पित लिखित बया गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Family Heirloom Policy के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृत संबंधी प्रावधान के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रावधान के प्रासंगिक अंश को उद्धृत करना उचित प्रतीत होता है।

"Attention is invited to the instructions contained in MHA's letter no 11019/23/95-Arms dated 28-02-1995 regarding grant of licences to the legal heir of the exi licensee, after the death of the licensee or the licensee has attained the age of 70 years or had the weapon for 25 years or more Normally, the scope of legal heirs is extended to husband, son and daughter. It has been decided to extend the scope of legal heir ship to the son-in daughter-in-law, brother and sister of the existing licensee. Accordingly, the application transfer of weapons from the said categories of relatives of the licensee may also be consi subject to other conditions stipulated in the said letter".

उक्त प्रावधान के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कोई भी आवेदक मात्र F Heirloom Policy के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का पात्र नहीं है। शस्त्र अनुज्ञप्ति स करने के क्रम में यह एक विचारणीय बिन्दु है लेकिन प्रथम और अंतिम बिन्दु नहीं। आवेद द्वारा उक्त Policy के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृत किए जाने के अनुरोध पर भी विचार गया लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अ में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्क पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है उन्हें एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्ति वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त उ श्री उपेन्द्रधारी सिंह, पिता–श्री त्रिपुन्दा शेखर सिंह, सा0–A2-509, नूतन टावर, कं कॉलोनी, थाना–कंकडबाग, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्राम–उलार, थाना–दुल्हिन जिला–पटना के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डा
पटना